रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 1 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 10, 1942 शक संवत्) [संख्या 30

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	839–862	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	579–582	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	131–134	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	193–195	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	389–390	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-2

प्रोन्नति

09 जुलाई, 2020 ई0

सं0 1119/दो-2-2020-35/2(2)/10—उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,900.00 में पदोन्नति हेतु दिनांक 01 मई, 2018 एवं 19 सितम्बर, 2018 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। तत्समय श्री जय शंकर दुबे, पी0सी0एस0 के विरुद्ध शासन के आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित/प्रचलित होने के कारण उक्त वेतनमान में श्री दुबे की प्रोन्नति नहीं हो सकी तथा श्री जय शंकर दुबे के सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मोहर बन्द लिफाफे में रखी गयी। श्री जय शंकर दुबे के विरुद्ध प्रचलित उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही शासन के आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 01 मई, 2018 एवं 19 सितम्बर, 2018 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की संस्तुति सम्बन्धी बन्द लिफाफों को खोला गया। चयन समिति की बैठक दिनांक 01 मई, 2018 में समिति द्वारा श्री दुबे को अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये उनकी प्रोन्नति की संस्तुति नहीं की गयी। चयन समिति की बैठक दिनांक 19 सितम्बर, 2018 में समिति द्वारा मोहर बन्द लिफाफे में की गई संस्तुति के दृष्टिगत श्री जय शंकर दुबे, पी0सी0एस0 को उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,900.00 पे-मैट्रिक्स लेवल 13-क में दिनांक 19 सितम्बर, 2018 से प्राकल्पिक प्रोन्नति प्रदान करने की महामहिम राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री जय शंकर दुबे, पी0सी0एस0 को विशेष सचिव का पदनाम भी प्रदान किया जाता है।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-4

कार्यालय आदेश

04 जून, 2020 ई0

सं0 182/दो-4-2020-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1899/IV-4346/एडमिन (ए), दिनांक 05 फरवरी, 2020 के क्रम में श्री विवेक कुमार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर द्वारा वर्ष, 2017 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से अर्जित पी0एच0डी0 डिग्री/उपाधि को उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने एवं उनके नाम के पहले डा0 लिखे जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

सं0 807/दो-4-2019-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 12818/IV-4452/एडमिन (ए), दिनांक 06 सितम्बर, 2019 के क्रम में श्री अमित वर्मा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एफ0टी0सी0), बलरामपुर द्वारा वर्ष, 2018 में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से अर्जित पी0एच0डी0 डिग्री/उपाधि को उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
अरविन्द मोहन चित्रांशी,
विशेष सचिव।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग

अनुभाग-2

अधिसूचना

16 जुलाई, 2020 ई0

सं0 74/2020/536/58-2-2020-22/2018टी0सी0-II–असंगठित क्षेत्र की इकाईयों की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत ''पीएम एफएमई-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना'' संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा देश में 2.00 लाख सूक्ष्म उद्यमों का लाभान्वित कर लगभग 9.00 लाख कुशल और अर्द्ध कुशल रोजगार उत्पन्न करना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य हेतु 37,805 सूक्ष्म उद्यमों को लाभान्वित कर लगभग 1,70,123 कुशल और अर्द्धकुशल रोजगार उत्पन्न करना प्रस्तावित है, जो योजना का लगभग 18.9 प्रतिशत है। भारत सरकार की प्रश्नगत योजना में एक जिला एक उत्पादन (ओडीओपी) अवधारणा के तहत इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन के सन्दर्भ में लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया जाना है। मौजूदा समूहों और उपलब्ध कच्चे माल को ध्यान में रखते हुये राज्य, एक जिले के लिये खाद्य उत्पाद चिन्हित करेंगे।

2–खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों की भागीदारी से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिये वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार सहायता देने के लिये अखिल भारतीय आधार पर ''पीएम एफएमई-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना'' का औपचारिक शुभारम्भ करते हुये दिनांक 29 जून, 2020 को दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा योजना को अंगीकृत करते हुये निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

योजना के उद्देश्य–सूक्ष्म उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिये निम्न उद्देश्य है–

- जीएसटी, एफएसएसएआई स्वच्छता मानकों और उद्यम आधार के लिये पंजीकरण के साथ-साथ उन्नयन एवं मानकीकरण के लिये पूंजीगत निवेश हेतु सहायता देना।
- कुशल प्रशिक्षण, खाद्य संरक्षा मानकों एवं स्वच्छता के संबंध में तकनीकी जानकारी देने एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जाना।
- बैंक ऋण प्राप्त करने एवं उन्नयन करने हेतु डीपीआर तैयार करने के लिये हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना।
- पूंजी निवेश, सामान्य अवसंरचना तथा ब्राडिंग एवं विपणन सहायता के लिये कृषक उत्पादन संगठनों (एफ0पी0ओ0), स्वयं सहायता समूहों (एस0एच0जी0), उत्पादक सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना।

4–लक्ष्य निर्धारण–

4.1–प्रश्नगत् योजना वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिये लागू की जानी है, जिसमें देश के लिये रु0 10,000.00 करोड़ का परिव्यय एवं 2 लाख उद्यमियों को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4.2–भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश हेतु आगामी पांच वर्षों में 37805 इकाईयों के उच्चीकरण/उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5–पात्रता–

योजनान्तर्गत पूर्व से स्थापित वह इकाईयां पात्र होंगी जिनमें 10 से कम कार्मिक कार्यरत हैं। इकाई का स्वामित्व आवेदक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा वह न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। परिवार से आशय स्वयं, पति/पत्नी और बच्चों से है।

5.1–निजी उद्यमियों को सहायता–अपने उद्यम का उन्नयन करने के इच्छुक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जिसकी अधिकतम लागत 10.00 लाख रुपये प्रति उद्यम है। लाभार्थी का योदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिये और शेष राशि बैंक से लाभार्थी को ऋण प्राप्त करना होगा।

5.2 योजना में एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं को-आपरेटिव को 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहित सम्पूर्ण मूल्य से श्रंखला समेत पूंजी निवेश हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।

5.3 स्वयं सहायता समूहों को सीड कैपिटल–कार्यशली पूंजी तथा छोटे उपकरणों की खरीद के लिये खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी प्रदान की जायेगी। अनुदान के रूप में प्रारम्भिक पूंजी एस0एच0जी0 के संघ स्तर पर दी जायेगी, जो बदले में एस0एच0जी0 को पुनः भुगतान किये जाने हेतु एसएचजी के माध्यम से ऋण के रूप में सदस्यों को दी जायेगी।

5.4 कामन आधारभूत संरचना–एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं, राज्य के स्वामित्व वाली एजेन्सियों और निजी उद्यमियों को सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, वेयरहाउस, कोल्डस्टोरेज, पैकिंग एवं इन्क्यूवेशन सेन्टर समेत सामान्य अवसंरचना के विकास के लिये 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

5.5 ब्राण्डिंग और मार्केटिंग हेतु सहायता–सामान्य पैकेजिंग और ब्राण्डिग विकसित करने, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण के उपबन्ध के साथ सामान्य पैकिंग एवं ब्रांडिंग का विकास करने तथा उपभोक्ता फुटकर बिक्री के लिये खाद्य संरचना पैरामीटरों का अनुपालन करने के लिये ओडीओपी दृष्टिकोण अपनाते हुये योजना के अन्तर्गत एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं अथवा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एसपीवी को ब्रांण्डिग और मार्केटिंग सहायता दी जायेगी। इन संगठनों को सहायता उनके द्वारा तैयार की गयी डीपीआर और राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर दी जायेगी। ब्रांडिंग और विपणन के लिये सहायता कुल व्यय की 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।

6–योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया–

योजना हेतु भारत सरकार एक एमआईएस तैयार करेगी, जिसकी समस्त प्रक्रिया आनलाईन होगी। सहायता प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें एफ0एम0ई0 पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। क्षेत्र स्तरीय सहायता के लिये नियोजित जिला रिसोर्स पर्सन डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, आवश्यक पंजीकरण तथा एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्यम आधार एवं जी0एस0टी0 प्राप्त करने के लिये हैंण्ड होल्डिग सहायता उपलब्ध करायेंगे।

6.1 एफपीओ/स्वयं सहायता समूहों/सहकारिताओं, सामान्य अवसंरचना एवं विपणन तथा ब्रांण्डिंग के समर्थन के लिये आवेदन डीपीआर समेत राज्य नोडल एजेंसी को भेजे जा सकते हैं। राज्य नोडल एजेन्सी अनुदान के लिये परियोजना को अवगत करायेंगे और बैंक ऋण के लिये संस्तुत करेंगे।

6.2 सरकार द्वारा अनुदान ऋणदाता बैंक में लाभार्थी के खाते में जमा किया जायेगा। यदि ऋण की अंतिम किश्त के संवितरण के 03 वर्ष की अवधि के पश्चात लाभार्थी खाता अभी भी मानक हो और अद्यम प्रचलनशील हो तो यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में समायोजित की जायेगी। ऋण में अनुदान राशि के लिये बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।

7–संगठनात्मक संरचना–

7.1 भारत सरकार स्तर–योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के स्तर पर, राज्य सरकारों के स्तर पर तथा जनपद स्तर पर समितियां गठित की जानी है। भारत सरकार की स्तर पर मा0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अध्यक्षता में अन्तरमंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति, अपर सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना कार्यपालक समिति और उद्योग विशेषज्ञ की अध्यक्षता में प्रशिक्षण समिति का गठन किया गया है।

7.2 राज्य स्तर–

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी, का गठन किया जाता है :

1	मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कौशल विकास	सदस्य
11	मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीवका मिशन	सदस्य
12	राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि	सदस्य
13	संस्थान प्रमुख राज्य तकनीकी संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
14	नाबार्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
15	एनएसडीसी के प्रतिनिधि	सदस्य
16	एसएलबीसी के प्रतिनिधि	सदस्य
17	एनसीडीसी के प्रतिनिधि	सदस्य
18	राज्य सरकार द्वारा नामित बैंकिंग/फाइनेन्स एवं मार्केटिंग के विशेषज्ञ	सदस्य
19	राज्य नोडल अधिकारी	सदस्य सचिव

राज्य सरकार किसी अन्य को भी उपरोक्त समिति का सदस्य नामित कर सकती है।

7.3 राज्य स्तरीय समिति के कार्य–राज्य स्तरीय समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे–

1–सर्वेक्षण/अध्ययन का अनुमोदन

2–राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत पीआईपी का अनुमोदन

3–राज्य और जनपदीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण गतिविधियों का अनुमोदन

4–राज्य स्तरीय संस्थानों, उद्यमों के लिये प्रशिक्षण और कौशल विकास कैलेण्डर का अनुमोदन

5–राजकीय संस्थानों का सृदृढ़ीकरण का अनुमोदन

6–खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को संस्तुत करने हेतु समूहों के अनुदान प्रस्ताव का अनुमोदन

7–आम सुविधाओं, समूहों विपणन और ब्राण्डिग के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन।

उपरोक्त के अलावा राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित कार्यों को भी स्वीकृत करेगी–

1–योजना के समग्र लक्ष्य के अनुरूप योजना के लिये मासिक लक्ष्य निर्धारित करना

2–पोर्टल के माध्यम से योजना के प्रगति का अनुश्रवण करना

3–अन्य संबंधित संगठनों के साथ तालमेल सुनिश्चित करना

4–योजना के तहत वित्त पोषित इकाईयों/सीएफसी का निरीक्षण सुनिश्चित करना

7.4 जनपद स्तरीय समिति–

जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) में पंचायत बैंक विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सामुदायिक संस्थानों, एफ0पी0ओ0/एस0एच0जी0 आदि का प्रतिनिधित्व होगा। कमेटी का गठन किया जाना है, समिति की संरचना निम्नवत् है :

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
3	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
4	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
5	एक ग्राम पंचायत का सरपंच/प्रधान	सदस्य
6	एक खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
7	जनपदीय लीड बैंक प्रबन्धक	सदस्य
8	प्रतिनिधि–एसएचजी/एफपीओ	सदस्य
9	प्रतिनिधि नाबार्ड	सदस्य
10	जनपदीय प्रतिनिधि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
11	जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	सदस्य

7.5 जनपद स्तरीय समिति के उत्तरदायित्व एवं कार्य–

जनपद स्तरीय समिति के निम्नलिखित उत्तरदायित्व एवं कार्य होंगे–

1–व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को ऋण और सब्सिडी के लिये आवेदनों का अनुमोदन

2–राज्य नोडल एजेन्सी को कामन इन्फ्रास्ट्रेक्चर और समूहों के आवेदनों पर संस्तुति

3–जनपदीय रिसोर्स पर्सन द्वारा सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किये जा रहे हैण्ड होल्डिंग का अनुश्रवण

4–डैशबोर्ड एवं पोर्टल के माध्यम से योजना का अनुश्रवण

5–सभी संस्थानों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना।

8–जनपदीय रिसोर्स पर्सन का चयन एवं कार्य–

8.1 योजना हेतु जनपद स्तर पर लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिये राज्य नोडल एजेन्सी (एस0एन0ए0)/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय रिसोर्स पर्सन का चयन किया जायेगा, जिसकी योग्यता निम्नवत् होगी :

1–प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य अभियन्त्रण में डिप्लोमा/डिग्री।

2–प्रौद्योगिकी उन्नयन नये उत्पाद विकास, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबन्धन के लिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कंसल्टेन्सी सेवायें प्रदान करने में 03 से 05 वर्ष का अनुभव।

3–यदि खाद्य प्रौद्योगिकी में योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बैंकिंग, डी0पी0आर0 की तैयारी और प्रशिक्षण में अनुभव वाले व्यक्ति लिये जा सकते हैं।

8.2 जनपदीय रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) द्वारा उद्यमियों को डी0पी0आर0 तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण/लाईसेन्स, उद्योग आधार, जी0एस0टी0 पंजीयन आदि हेतु हैण्ड

होल्डिंग सहायता प्रदान की जायेगी, जिसके लिये भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

9–वित्तीय प्रबन्धन–

योजना का वित्त पोषण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जायेगा। योजनान्तर्गत क्लस्टर एप्रोच एवं शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों पर विशेष ध्यान दिया जाना है। ''पीएम एफएमई-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना'' के क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थानीय स्तर पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में वृहद रोजगार सृजन होगा तथा प्रदेश में उत्पादित कृषि/औद्यानिक उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन होगा। योजना का प्रथम वर्ष में व्यय, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा किया गया हो या केन्द्र सरकार द्वारा, का वहन भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत किया जायेगा, जिसे आगामी वर्षों में केन्द्र एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में समायोजन किया जायेगा। कतिपय कार्य जैसे प्रशिक्षण, प्रशासनिक मद, एमआईएस, योजना का प्रचार प्रसार, भारत सरकार द्वारा नामित संस्थाओं आदि कार्यों पर शतप्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल बैंक अनुदान वितरण एवं अन्य बैंकों से समन्वय हेतु चयनित किया जायेगा, जिसके माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देय धनराशि वितरित की जायेगी। योजना में लिये गये ऋणों पर ऋण गारण्टी की सुविधा का लाभ नेशनल क्रेडिट गारण्टी ट्रस्टी कम्पनी द्वारा दिया जायेगा।

10–विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस–

ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जो इस योजना में लाभ प्राप्त करेगी, उन इकाईयों को अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण उद्यमिता स्टार्टअप कार्यक्रम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की ब्याज उपादान योजना, प्रधान मंत्री मुद्रायोजना, एएसपीआईआरई योजना एसएफयूआरटीआई, एमएसएमई की सार्वजनिक क्रय नीति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की कोल्डचेन/बैकवर्ड-फारवर्ड लिन्केज/एग्रो क्लस्टर आदि योजनाओं एवं राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले अन्य योजनाओं से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नगत योजना में संशोधन/परिवर्तन हेतु मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश अधिकृत हैं।

11–नोडल विभाग/नोडल एजेन्सी/नोडल अधिकारी–,

(1) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये नोडल विभाग है।

(2) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये नोडल एजेन्सी तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी से है।

(11) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को यथा स्थिति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया जायेगा।

अतः उपरोक्त के क्रम में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
बी0 एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

30 जून, 2020 ई0

सं0 04/2020/1140/12-1-20-108/2019–उ0प्र0 कृषि सेवा (समूह-क पद) के अपर कृषि निदेशक स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कृषि निदेशक

स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000 मैट्रिक्स लेवल-14) के पदों पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) श्री ए0पी0 श्रीवास्तव

(2) डा0 ओम प्रकाश सिंह

2–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053/(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

उपरोक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 05/2020/1141/12-1-20-109/2019–उ0प्र0 कृषि सेवा (समूह-क पद) के संयुक्त कृषि निदेशक स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700 मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी

(2) श्री राम बिलास सिंह

2–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053/(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

उपरोक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 06/2020/1143/12-1-20-110/2019–श्री अनिल कुमार पाठक उप कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600 मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं–

2–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053/(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

उपरोक्त अधिकारी के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

01 जुलाई, 2020 ई0

सं0 07/2020/1150/12-1-20-108/2019—श्री राम सघन राम, अपर कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000 मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं—

2—उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053/(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

उपरोक्त अधिकारी के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 08/2020/1152/12-1-20-109/2019—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700 मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं—

2—उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053/(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

उपरोक्त अधिकारी के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 09/2020/1153/12-1-20-110/2019—उ0प्र0 कृषि सेवा (समूह-क पद) उप कृषि निदेशक स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600 मैट्रिक्स लेवल-12) के पदों पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1—श्री उमेश चन्द्र कटियार

2—श्री जय प्रकाश

2—उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053/(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

उपरोक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

02 जुलाई, 2020 ई0

सं0 10/2020/1183/12-1-20-600/06टी0सी0—श्री राज्यपाल महोदय, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष परीक्षा), 2017 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (विकास शाखा) में वेतन बैण्ड-3 के सादृश्य वेतनमान रु0 15,600-39,100, सादृश्य ग्रेड वेतन

रु0 5,400 में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (विकास शाखा) उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	गृह जनपद	वर्तमान पता	स्थायी पता	नई तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री–				
1	रत्नेश कुमार सिंह पुत्र श्री जामवन्त सिंह	मिर्जापुर	ग्राम व पोस्ट मगरहा, चुनार, जिला मिर्जापुर-231306	ग्राम व पोस्ट मगरहा, चुनार, जिला मिर्जापुर 231306	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, भदोही।
2	विकास सेठ पुत्र श्री नकुल प्रसाद सेठ	लखनऊ	बी-4 शंकरापुरी, कमता चिनहट, लखनऊ-226028	बी-4 शंकरापुरी, कमता चिनहट, लखनऊ-226028	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, अकबरपुर, कानपुर देहात।
3	हरिओम मिश्र पुत्र श्री लाल चन्द्र मिश्र	सुल्तानपुर	ग्राम उधरन पुर, पो0 मेवपुर, जिला सुल्तानपुर	ग्राम उधरन पुर, पो0 मेवपुर, जिला सुल्तानपुर	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, गौरीगंज, अमेठी।
4	शशांक पुत्र श्री सुनील कुमार	अम्बेडकर नगर	म0नं0-18, ग्राम दमोदरपुर चकिया, थाना सम्मनपुर, तहसील अकबरपुर, नागर, जिला अम्बेडकर नगर-224210	म0नं0-18, ग्राम दमोदरपुर चकिया, थाना सम्मनपुर, तहसील अकबरपुर, नागर, जिला अम्बेडकर नगर-224210	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, खलीलाबाद, संत कबीरनगर।
5	अमित कुमार पुत्र श्री यसपाल सिंह	बागपत	नियर कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, शताब्दी नगर, बड़ौत, जिला बागपत-250611	ग्राम धिकाना, तह0 बड़ौत, जिला बागपत-250611	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, कैराना, शामली।
6	राजेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री राम चन्द्रलाल	बरेली	म0नं0-1610, मो0 कटरा, चन्द्र ओल्ड सिटी नियर सिंधु नागा, पो0 श्यामनगर, बरेली-243005	म0नं0-114, ग्राम बामिया शंकरपुर, पोस्ट एथाना, थाना बहुटा, तह0 फरीदपुर, जिला बरेली-243503	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, अमरोहा, जे0पी0 नगर।
7	भावना नांगल पुत्री श्री बाबू लाल नांगल	ललितपुर	1, बादापुरा निकट अम्बेडकर पार्क, ललितपुर-284403	1, बादापुरा निकट अम्बेडकर पार्क, ललितपुर-284403	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, महोबा।
8	शत्रुघन कुमार सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह	देवरिया	472/1 भीखमपुर रोड, देवरिया-274001	472/1 भीखमपुर रोड, देवरिया-274001	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सहजनवां, गोरखपुर।

2–सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

3–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित/संस्तुत अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4–उपर्युक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उ0प्र0 सरकारी आचरण नियमावली, 1956 के (अद्यावधिक संशोधन सहित) में दी गयी व्यवस्थानुसार चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक एवं आय संबंधी प्रमाण-पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से हो, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, आदि

सुसंगत अभिलेख लेकर, कार्यभार ग्रहण करने हेतु कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को विलम्बतम 01 माह के भीतर अपनी योगदान आख्या उक्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत करें।

5—सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 11/2020/1184/12-1-20-600/06टी0सी0—श्री राज्यपाल महोदय, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष परीक्षा), 2017 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (सांख्यिकी शाखा) में वेतन बैण्ड-3 के सादृश्य वेतनमान रु0 15,600-39,100, सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400 में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (सांख्यिकी शाखा) सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	गृह जनपद	वर्तमान पता	स्थायी पता	नई तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री—				
1	मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री हंसराज यादव	भदोही	नथईपुर, थाना गोपीगंज, संत रवि दास नगर, उ0प्र0 221304	नथईपुर, थाना गोपीगंज, संत रवि दास नगर, उ0प्र0 221304	सांख्यिकीय अधिकारी, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर
2	सारिका उमराव पुत्री श्री कमलेश कुमार उमराव	फतेहपुर	म0नं0-980 फीट रोड, किदवई नगर, कानपुर (अर्बन), उ0प्र0	ग्राम बाबूपुर बाबई, पो0 दीघरूवा, फतेहपुर 212657	सांख्यिकीय अधिकारी, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा
3	हरि शंकर पुत्र श्री राम विलास मौर्या	लखनऊ	538ए 520, श्री पुरम, त्रिवेणी नगर-III लखनऊ, उ0प्र0 226020	538ए -520, श्री पुरम, त्रिवेणी नगर-III लखनऊ, उ0प्र0 226020	सांख्यिकीय अधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

2—सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

3—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित/संस्तुत अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4—उपर्युक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उ0प्र0 सरकारी आचरण नियमावली, 1956 के (अद्यावधिक संशोधन सहित) में दी गयी व्यवस्थानुसार चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक एवं आय संबंधी प्रमाण-पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से हो, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, आदि सुसंगत अभिलेख लेकर, कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा कृषि भवन लखनऊ को विलम्बतम 01 माह के भीतर अपनी योदान आख्या उक्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत करें।

5—सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

02 जून, 2020 ई0

सं0 27/18-1-2020-25(8)/2019—श्री अभिजीत गौतम, सहायक आयुक्त उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर के पत्र दिनांक 03 मई, 2019 द्वारा उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में स्थायी पता के रूप में अंकित गृह जनपद लखनऊ के स्थान पर जनपद औरेया को अपने गृह जनपद के रूप में अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया।

2—अतः एम0जी0ओ0 के प्रस्तर 31 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार श्री अभिजीत गौतम के अनुरोध पर उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तथ्यों के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में अंकित गृह जनपद लखनऊ को परिवर्तित कर ग्राम पाता, पोस्ट पाता, थाना फफूंद, तहसील विधूना, जनपद औरेया अंकित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3—यह गृह जनपद (Home Town) परिवर्तन प्रथम एवं अंतिम बार किया जा रहा है।

आज्ञा से,
पन्ना लाल,
संयुक्त सचिव।

प्रोन्नति

19 जून, 2020 ई0

सं0 185/18-1-20-25(72)/16टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुत विषयक उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 424(7)/08/पी0/एस-9/2018-19, दिनांक 29 मई, 2020 के क्रम में उद्योग विभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्रबन्धक (तकनीकी) संवर्ग एवं अपर सांख्यिकीय अधिकारी संवर्ग के कार्मिकों को चयन वर्ष 2019-20 की रिक्ति के सापेक्ष नियमित चयनोपरान्त सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर श्रेणी 2 वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुये तालिका में अंकित तैनाती स्थान पर नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :

(क) सहायक प्रबन्धक (तकनीकी) संवर्ग से प्रोन्नत

क्रमांक	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम	तैनाती का स्थान
		सर्वश्री—	
1	23	राम मिलन	गोण्डा
2	24	विशाल सिंह रावत	सहारनपुर
3	29	श्रवण कुमार	बलिया
4	30	चन्द्र प्रकाश	पीलीभीत
5	31	अशोक कुमार	वाराणसी
6	32	राजेन्द्र कुमार वर्मा	फतेहपुर
7	33	रूबी जमशेद	बाराबंकी
8	36	कु0 अर्चना पालीवाल	बरेली
9	37	अशोक कुमार उपाध्याय	फर्रूखाबाद
10	38	के0के0 मिश्रा	आगरा
11	39	राजधारी प्रसाद गौतम	सोनभद्र
12	40	गुलाब चन्द्र गौड़	गोरखपुर
13	41	बलराज वीर सिंह	ओ0डी0ओ0पी0 सेल, लखनऊ

(ख) अपर सांख्यिकीय अधिकारी संवर्ग से प्रोन्नत

क्रमांक	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम	तैनाती का स्थान
		सर्वश्री–	
1	40	राजेन्द्र कुमार	गाजियाबाद
2	41	गुरूदेव	अयोध्या
3	42	विद्याधर	लखनऊ
4	43	अरविन्द कुमार भाष्कर	श्रावस्ती
5	44	योगेश कामेश्वर	जालौन
6	45	कृष्णपाल	हमीरपुर
7	46	अर्चना दीक्षित	कानपुर नगर सम्बद्ध मुख्यालय
8	47	राजेश कुमार पाण्डेय	बलरामपुर
9	48	समसुद्दीन	प्रतापगढ़
10	49	रेखा श्रीवास्तव	कार्यालय परि0 संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ
11	50	वीना शर्मा	मुख्यालय निर्यात
12	51	पाम्पी दास	बागपत
13	52	अजहर जमाल	प्रयागराज

2–उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सहायक आयुक्त उद्योग के नवप्रोन्नत पद का कार्यभार तैनाती के स्थान पर ग्रहण करते हुये कार्यभार प्रमाणक उद्योग निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सेवानिवृत्ति

22 जून, 2020 ई0

सं0 224/18-1-20-25(68)/2003–उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या 273/3अ/का0/से0नि0वि0/2020-21 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में राजपत्रित पदों पर कार्यरत निम्नलिखित सरकारी सेवकों को उनके द्वारा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त कर लेने के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 मूल नियम 56 (क) के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख कालम 5 में अंकित तिथि के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	श्री हरीराम राजपूत	संयुक्त आयुक्त उद्योग	06-07-1961	31-07-2021
2	श्री सुशील कुमार शर्मा	सहायक आयुक्त उद्योग	07-09-1961	30-09-2021

2–कृपया उक्तानुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।

परिवहन विभाग

अनुभाग-3

पदोन्नति

30 जून, 2020 ई0

सं0 33/2020/1737/30-3-2020-67जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री पुष्पसेन सत्यार्थी, संभागीय परिवहन अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त उप परिवहन आयुक्त (वेतनमान रु0 37,400-67,000 व ग्रेड वेतन रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री पुष्पसेन सत्यार्थी की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 34/2020/1738/30-3-2020-67जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्रीमती ममता शर्मा, संभागीय परिवहन अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त उप परिवहन आयुक्त (वेतनमान रु0 37,400-67,000 व ग्रेड वेतन रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल -13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्रीमती ममता शर्मा की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेगें।

सं0 35/2020/1738/30-3-2020-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री राजेश कुमार मौर्य, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड 4 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राजेश कुमार मौर्य की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 36/2020/1740/30-3-2020-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री अजय कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड 4 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री अजय कुमार की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

01 जुलाई, 2020 ई0

सं0 37/2020/1759/30-3-2020-67जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री मुखलाल, संभागीय परिवहन अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त उप परिवहन आयुक्त, (वेतनमान रु0 37,400-67,000 व ग्रेड वेतन रु0 8,700 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री मुखलाल की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 38/2020/1760/30-3-2020-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री राजेश कुमार (गंगवार), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड 4 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राजेश कुमार (गंगवार) की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 39/2020/1761/30-3-2020-70जीई/2017—कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्रीमती अनीता सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड 4 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्रीमती अनीता सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

नियुक्ति

12 जून, 2020 ई0

सं0 842/86-2020-165/14टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक भू-भौतिकविद् पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी सुश्री इन्दू चौधरी पुत्री श्री प्यारे लाल, निवासी मकान संख्या 11ए/24 नवीन नगर, थाना सदर बाजार, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001 (रजिस्ट्रेशन संख्या-53100388457) को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद् किये गये स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाया गया है।

2—अतएव, उक्त चयनित अभ्यर्थी सुश्री इन्दू चौधरी को श्रेणी-ख के अन्तर्गत वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5,400 में सहायक भू-भौतिकविद के पद पर निम्न शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में तैनात किये जाने के श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं :

1—उक्त अभ्यर्थी सुश्री इन्दू चौधरी, सहायक भू-भौतिकविद के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी।

2—इनकी सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होगी।

3—इनको कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो, देय होंगे।

4—उ0प्र0 अस्थायी स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

5—सुश्री इन्दू चौधरी अपनी योदान आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष्रा प्रस्तुत करेंगे।

6—सुश्री इन्दू चौधरी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगी। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7—तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

9—इन सहायक भू-भौतिकविद की पारस्परिक ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
डा0 रोशन जैकब,
सचिव।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग-8

अधिसूचना

12 फरवरी, 2020 ई0

सं0 395/आठ-8-2020-11एलयूसी/2019—चूंकि राज्य सरकार बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली महायोजना, 2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' तथा ''दि टाईम्स ऑफ इण्डिया'' के संस्करण में दिनांक 02 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित करायी गयी थी।

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित), 1974 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, बरेली विकास क्षेत्रान्तर्गत, बरेली महायोजना, 2021 में अनुसूची में उल्लिखित गाटा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं :

अनुसूची

(क) क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला हेतु—

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	बरेली महायोजना 2021 में निर्दिष्ट भू-उपयोग	महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु क्षेत्रफल
						हेक्टेयर
1	ट्यूलिया	212	0.6370	हरित पट्टिका	कार्यालय	0.6370
2	ट्यूलिया	220	0.1540	हरित पट्टिका	कार्यालय	0.1540
	कुल क्षेत्रफल . .		**0.7910**	—	—	**0.7910**

(ख) क्राइम ब्रान्च कार्यालय हेतु—

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	बरेली महायोजना 2021 में निर्दिष्ट भू-उपयोग	महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु क्षेत्रफल (हे0 में)
1	ट्यूलिया	217	0.02	महायोजना मार्ग	यथावत्	—
2	ट्यूलिया	217	0.08	हरित पट्टिका	कार्यालय	0.08
	कुल क्षेत्रफल . .			—	—	**0.08 हे0**

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित हरित पट्टिका भूमि के बदले निम्नलिखित भूमि को 'हरित पट्टिका' भू-उपयोग में परिवर्तन किया जाता है, जो निम्नवत् है :

क्रमांक	राजस्व ग्राम	आराजी संख्या व कुल रकबा (वर्ग मी0 में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	बरेली महायोजना 2021 के अनुसार भू-उपयोग	महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन
1	2	3	4	5	6
1	बिथरी चैनपुर	287/3770	9000	कृषि (ग्राम समाज)	हरित पट्टिका
2	नवदिया हरिकिशन	41/3930		कृषि (परती भूमि)	हरित पट्टिका
		44/2040		कृषि (परती भूमि)	हरित पट्टिका
	कुल ..	**9740 वर्ग मी0**	**9000 वर्ग मी0 (0.9 हे0)**		

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

17 जून, 2020 ई0

सं0 आर-307/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री कहकशां अंजुम पुत्री श्री बलीगुर्रहमान को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद शाहजहांपुर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-308/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री प्रभात सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद अम्बेडकरनगर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्य भार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर

यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4–सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-309/38-1-2020-3518/2019–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री ज्योति शर्मा पुत्री श्री देवेन्द्र शर्मा को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद अयोध्या में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4–सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-310/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री राजीव रंजन सिंह पुत्र श्री विजय कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद अम्बेडकरनगर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-311/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री स्वाती रस्तोगी पुत्री श्री राजेश रस्तोगी को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद अयोध्या में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-312/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री विनायक सिंह पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद कौशाम्बी में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनात के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-313/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री राम खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे

नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद आगरा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-314/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री रजत गुप्ता पुत्र श्री श्रीप्रकाश गुप्ता को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद आगरा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-315/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री संदीप यादव पुत्र श्री सुरेश पाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद गोण्डा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-316/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री प्रदीप कुमार चौधरी पुत्र श्री लालमनि चौधरी को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद गोण्डा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के

जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-317/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री आनन्द विजय यादव पुत्र श्री छेदी प्रसाद यादव को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद हापुड़ में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 आर-318/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री मेवालाल को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे-मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद बिजनौर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—18 हिन्दी गजट—भाग 1—2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 1 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 10, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

20 जुलाई, 2020 ई0

सं0 1049/(भू0अ0)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर, लखनऊ की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से संचालित ए0 एन0 एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जनपद लखनऊ, तहसील लखनऊ, परगना लखनऊ, ग्राम बाघामऊ की 1.750 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2020 को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है-

''लखनऊ शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवासीय समस्या के समाधान हेतु सभी सुख सुविधाओं से युक्त इस प्रकार की टाउनशिप विकसित किया जाना एक सराहनीय प्रयास है। किन्तु इस प्रयास में अधिग्रहण से प्रभावित भू-स्वामियों की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। चूंकि परियोजना हेतु वांछित 96.97 प्रतिशत भूमि का हस्तान्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण/विकास कर्ता के पक्ष में हो चुका है। अतएव, इस सामाजिक समाघात आंकलन/प्रबन्धन योजना के आधार पर इन प्रभावों को कम करते हुए प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।''

इस सम्बन्ध में इस बाात का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि जिन भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि का विक्रय नहीं किया गया है उनके द्वारा मुख्य रूप उनकी अत्यधिक उपयोगी भूमि का वर्तमान सर्किल रेट बहुत कम है, जिस पर वे अपनी भूमि विक्रय हेतु सहमत नहीं हैं। अतएव, यदि परिवर्तन/संशोधन हेतु सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन कर विचार किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4-भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	बाघामऊ	73-P	0.2320
				147	0.0890
				149	0.1010
				251	0.3950
				266-K	0.1110
				317-KP	0.0570
				317-KH	0.1140
				382-KP	0.0320
				442-KH	0.0840
				568-P	0.0400
				247-P	0.2630
				729-P	0.2150
				732-P	0.0170
				योग :	1.7500

6-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल, कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

मनीष कुमार नाहर,
कलेक्टर, लखनऊ,
भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

04 मार्च, 2020 ई0

सं0 1397/जी0-61-B/57/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
सम्भल	चन्दौसी	1	अर्जुनपुर खुर्द
		2	बेरखेडा

सं0 1398/जी0-48/54-80(2)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के ग्राम अवती में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1399/जी0-155/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सहसवान, जनपद बदायूं के ग्राम समदा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

29 मई, 2020 ई0

सं0 1900/जी0-181/66(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर के ग्राम रग्घूपुर तप्पा शाहपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

09 जून, 2020 ई0

सं0 2061/जी0-266/56—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर जनपद गोरखपुर के ग्राम जंगल केवटलिया तप्पा हवेली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2062/जी0-181/66(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं–

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
गोरखपुर	खजनी	1	पिताम्बरपुर तप्पा परसी
		2	बेलवाडाड़ी तप्पा उसरी
		3	मोहनचक तप्पा बेलघाट
		4	मसिदिया तप्पा शाहपुर
		5	बेला बुजुर्ग तप्पा शाहपुर

22 जून, 2020 ई0

सं0 2453/जी0-181/66(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं–

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
गोरखपुर	खजनी	1	कोटिया उर्फ गिरधरपुर तप्पा शाहपुर
		2	अहिरौली बुजुर्ग तप्पा परसी
		3	अहिरौली खुर्द तप्पा परसी
		4	चौकड़ी तप्पा उसरी
		5	मियांपकड़ी तप्पा पचौरी

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–18 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 1 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 10, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ जिला पंचायत

04 सितम्बर, 2016 ई0

सं0 14/तेइस-46/2015-16–उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, बस्ती द्वारा जनपद बस्ती अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाले मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन तथा ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी है, जिसकी पुष्टि आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर की गयी है, राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

1–यह उपविधि जिला पंचायत, बस्ती अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों की नदियों या उसके तट से मौरंग, बालू, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले से बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर, ट्राली, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2–**परिभाषायें**–इन उपविधियों में–

(2.1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) से है।

(2.2) ''जिला पंचायत'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार संघठित जिला पंचायत, से है।

(2.3) ''ग्रामीण क्षेत्र'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र से है।

(2.4) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, बस्ती से है।

(2.5) ''अपर मुख्य अधिकारी'' का तात्पर्य जिला पंचायत, बस्ती के अपर मुख्य अधिकारी से है।

(2.6) ''सार्वजनिक मार्ग'' का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने जाने का जन साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो।

(2.7) ''नदी मार्ग'' का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिये प्रयोग से है।

(2.8) ''पशु गाड़ी'' का तात्पर्य बैल या भैंसा या ऊंट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है।

(2.9) ''उद्गम स्थान'' का तात्पर्य उस स्थान से है, जहां खनिजों का उद्गम होता हो, उसी स्थान से निकलने वाले खनिजों (वाहन) से शुल्क वसूली जिला पंचायत, बस्ती द्वारा बिना बैरियर लगाये की जायेगी।

(2.10) ''शुल्क'' का तात्पर्य इस उपविधि के क्रमांक-6 द्वारा निर्धारित शुल्क से है।

3–यह उपविधियां ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों क्वेरीज आदि से खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होंगी।

4–कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक सड़क या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, ऊंट गाड़ी, बेलगाड़ी, भैसा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या मानव चलित नौका से परिवहन करेगा, तो उसको जिला पंचायत, बस्ती द्वारा निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती द्वारा उद्गम स्थल पर जिला पंचायत द्वारा नियुक्ति कार्मिक अथवा ठेकेदार को अदा करना होगा।

5–जिला पंचायत शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या अपने ठेकेदार द्वारा करा सकती है। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष की होगी जो किसी वर्ष की 01 अप्रैल से आरम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष 31 मार्च तक होगी।

6–जिला पंचायत, बस्ती द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी–

(1) पशुओं के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी	10 रु0 प्रति फेरी।
(2) मानव चालित नांव	20 रु0 प्रति फेरी।
(3) ट्रैक्टर ट्राली	50 रु0 प्रति फेरी।
(4) ट्रक	
[क] मिनी ट्रक (लाइट गुड्स विहिकिल्स)	100 रु0 प्रति फेरी।
[ख] ट्रक (लाइट गुड्स विहिकिल्स 06 चक्का)	150 रु0 प्रति फेरी।
[ग] भारी ट्रक लाइट गुड्स विहिकल्स 10 चक्का या अधिक	200 रु0 प्रति फेरी।

7–उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। जिस वित्तीय वर्ष में उपविधि लागू होगी गणना हेतु वह पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जायेगा। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

8–यदि शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो खुली सार्वजनिक नीलामी या सील्ड टेण्डर पद्धति से दिया जायेगा जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो हिन्दी दैनिक दो प्रचलित समाचार-पत्रों जिसकी प्रतियां सर्वाधिक प्रकाशित हो। में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत की बेव साइट पर अपलोड की जायेगी। जिसके अधीन टेन्डर फार्म डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

9–पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 819/33-2-2007-190 जी0/2007, दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के अनुसार ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति को जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

10–ठेके की धनराशि रु0 01 करोड़ तक होने की स्थिति में पूरी धनराशि एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। रु0 01 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्थिति में रु0 01 करोड़ की धनराशि तत्काल जमा की जायेगी। इससे ऊपर की शेष धनराशि रु0 02 समान किस्तों में जमा की जा सकती है। जिसकी प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करनी होगी। किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त एवं जमा धनराशि जब्त हो जायेगी एवं पुनः ठेके छोड़ने में यदि जिला पंचायत, देवरिया को कोई क्षति होती है तो वह उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

11–ठेकेदार को ठेका स्वीकार होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12–जिला पंचायत, बस्ती के अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपर्ण को जिला पंचायत में वापस करना अनिवार्य होगा।

13–ठेकेदार वसूली स्थल पर सहज दृश्य स्थान पर एक 6×4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14–इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नं0 लिखना अनिवार्य होगा।

15–ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी कराया जायेगा जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16–शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर किये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद बही रखनी होगी जिसको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

17–ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी जिसमें अपर मुख्य अधिकारी कार्य अधिकारी या अभियन्ता तथा वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे।

18–ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के 01 सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को संदर्भित कर दिया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19–ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं कर/राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी, तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत का होगा जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20–गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी। एवं पुनः ठेके किये जाने पर यदि जिला पंचायत को आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

21–वसूली स्थल अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बस्ती के द्वारा सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे, जहां पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नही किया जायेगा।

22–वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23—इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, गिट्टी, बजरी, रेत, भस्सी खारों से निकलने वाली मिट्टी कोयला के अभिवहन के समय मालिक/वाहन चालक/पशुगाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण-स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत शुल्क की अदायगी नही की गयी है और ऐसे व्यक्ति का वसूली हेतु नियत जिला पंचायत कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

24—जिला पंचायत, बस्ती को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुई आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 05 प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण संबन्धी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तानान्तरित करना अनिवार्य होगा। एतदर्थ सम्बन्धित विभाग की अपनी कार्य योजना जिला पंचायत, बस्ती को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत, द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।

25—जिला पंचायत, बस्ती को उस उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुई आय का 20 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारित वसूली स्थल से सम्बन्धित विकास खण्ड में जन विकास कार्यों में जिला पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा।

दण्ड

जिला पंचायत, बस्ती, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है, कि कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी, वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी/अपराध करता रहा, रु0 50.00 (रु0 पचास) तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।

निरसन

माडल उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त होगी।

अनिल कुमार सागर,
आयुक्त,
बस्ती मण्डल, बस्ती।

पी0एस0यू0पी0—18 हिन्दी गजट—भाग 3—2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 1 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 10, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली तारीख : 05 मई, 2020 ई0 / 15 वैशाख, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0-लो0स0/4/2019(इला0)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, 2019 की निर्वाचन याचिका संख्या 4 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 12 फरवरी, 2020 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi dated the : 05th *May*, 2020 / *Vaisakha* 15, 1942 (*Saka*).

No. 82/UP-HP/4/2019(Alld.)–In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 12th February, 2020 of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition no. 4 of 2019.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition No. 4 of 2019.

(*Under sections 80, 84, 98 & 99 of the Representation of the People Act*, 1951).

District : MAU

Hari Narayan S/o Bhagirathi,

Resident of Village–Tangunia, Post-Chainpur,

District–Ballia.

.. Election Petitioner.

VERSUS

Atul Kumar Singh S/o Bharat Singh,

Residence of Post-Veer Pur, Vikas Khand-Bhanwarkol,

District–Ghazipur.

..Returned Candidate/Respondent.

Court No.–29

Case : Election Petition No. 4 of 2019.

Petitioner : Hari Narayan.

Respondent : Atul Kumar Singh.

Counsel for Petitioner : Hari Narayan (In Person), Sudist Kumar.

Counsel for Respondent : Ajay Srivastava, Shiv Bahadur Singh.

Hon'ble Pankaj Mithal, *J.*

Heard Sri Sudist Kumar, Learned Counsel for the petitioner and Sri S. B. Singh and Sri Ajay Srivastava, Learned Counsel for the respondent.

The petitioner is an unsuccessful candidate in the Parliamentary Elections, 2019 from 70 Ghosi Parliamentary Constituency. He has challenged the election of the respondent.

After the written statement was filed by the respondent and an application was moved to reject the plaint under Order 7 Rule 11 C.P.C., petitioner was given time to file replica and reply to the application filed under Order 7 Rule 11 C.P.C., but till date there is no response from the side of the petitioner.

On the last occasion *i.e.* 08-01-2020, the matter was adjourned as Sri Sudist Kumar sought time of two weeks for filing replica and reply to the application filed under Order 7 Rule 11 C.P.C. Earlier also, time in this regard was allowed to him.

Today, he submits that the petitioner is not responding and he is not receiving any instructions whatsoever from him so as to press this petition.

The fact that the counsel is not receiving instructions amply demonstrates that the petitioner is no longer interested in pursuing this petition.

Accordingly, the Court is left with no option but to dismiss the petition for want of prosecution.

The Election Petition is, therefore, dismissed and is directed to be consigned to record.

Order dated : 12-02-2020.
Nirmal Sinha.

(Sd.) PANKAJ MITHAL, *J.*

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0–18 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–8 निर्वाचन–29-07-2020–25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 1 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 10, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

पूर्व में मेरे पिता स्व0 श्याम लाल के सेवा पुस्तिका में मेरा नाम आरती था, अब मेरा नाम आरती पाल है, पता–यमुना बिहार कालोनी, तिगनौता, डांडी, नैनी, जनपद प्रयागराज।

आरती पाल,
पुत्री स्व0 श्याम लाल।

सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुछ अभिलेखों में "नरेश कुमार" (Naresh Kumar) और अधिकांश अभिलेखों में "नरेश कुमार त्रिपाठी" (Naresh Kumar Tripathy अंकित है। इस प्रकार नरेश कुमार (Naresh Kumar) एवं नरेश कुमार त्रिपाठी (Naresh Kumar Tripathy) दोनों एक ही व्यक्ति हैं और वह मैं स्वयं हूं, अर्थात् यह दोनों नाम मेरे ही हैं।

चूंकि मैं वर्तमान में "नरेश कुमार त्रिपाठी (Naresh Kumar Tripathy) नाम का ही उपयोग करता हूं, अतः अब मुझे नरेश कुमार त्रिपाठी (Naresh Kumar Tripathy) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

नरेश कुमार त्रिपाठी,
पुत्र ज्वाला प्रसाद त्रिपाठी,
सी-131, साउथ सिटी, रायबरेली रोड,
जिला–लखनऊ-226025, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गर्ग ट्रेडिंग, 17 सदर बाजार, झांसी, उ0प्र0 284001 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1–भूपेन्द्र नाथ अग्रवाल, 2–भरत अग्रवाल, 3–प्रदीप अग्रवाल, 4–पंकज अग्रवाल, जिसमें दिनांक 06 अगस्त, 2017 को भूपेन्द्र नाथ अग्रवाल जी का स्वर्गवास हो गया एवं उनके स्थान पर स्नेहलता अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, पलक अग्रवाल शामिल हो रहे हैं।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

प्रदीप अग्रवाल,
साझेदार मेसर्स गर्ग ट्रेडिंग,
17 सदर बाजार, झांसी (उ0प्र0) 284001।

NOTICE

I, Vinod Kumar in the capacity of partner of M/s. Om Associates hereby publish in Official Gazette that the composition of partners of M/s. Om Associates has now been changed through the rectification deed dated 15-10-2019. The change in composition of partners has took place after the demise of previous partners *i.e.* Smt. Shanti Devi on 01-03-2008, Shri Suresh Chand on 11-12-2015 and Shri Ramesh Chand on 14-01-2019. The rectification shall be effective from the date of death of demised partners as above. The new composition of partners are:

1. Mrs. Murti Devi-25% Share
2. Mrs. Sumitra Devi-25% Share
3. Mr. Vinod Kumar-25% Share
4. Mrs. Rekha Sharma-25% Share

OM ASSOCIATES,
PARTNER VINOD KUMAR
S/o. LATE SHREE CHAND,
R/o Vill.-Chaura Raghunathpur,
Tehsil-Dadri, Noida, U.P.

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट कैरियर, पता खड़िया बाजार, शक्तिनगर, जिला सोनभद्र की फर्म में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिये 13 दिसम्बर, 2016 को हुये अनुबंध के मुताबिक पांच साझेदार क्रमशः 1–कुमारी प्रियंका शर्मा पुत्री श्री उदय शर्मा, 2–श्री विनीता शर्मा पत्नी श्री उदय शर्मा, 3–मुर्तजा खान पुत्र उमर खान, 4–शाहजहां बेगम पत्नी मुर्तजा खान, 5–फरियाद खान पुत्र मुर्तजा खान थे। व्यवसाय के लिहाज से इस अनुबन्ध में दिनांक 16 जुलाई, 2020 को सभी साझेदारों की रजामंदी से पांच नये साझीदारों को शामिल किया गया। इस तरह अब मेसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट कैरियर, में नये साझीदारी के रूप में क्रमशः 1–जावेद अली पुत्र साबिर अली, 2–अशरफ अली पुत्र साहेब अली, 3–जाबिर अली पुत्र साबिर अली, 4–विनय विश्वास पुत्र श्री विमल, 5–जगमोहन सिंह पुत्र हीरा लाल सिंह को शामिल कर लिया गया है। अब नेशनल ट्रांसपोर्ट कैरियर में कुल साझेदारों (पार्टनरों) की संख्या दस हो गई है। नये अनुबन्ध के बाबत किसी साझेदार को कोई आपत्ति नहीं है। सभी साझेदारों के सहमति से जारी फर्म पंजीकरण स्थिति यथावत् है।

मुर्तजा खान पुत्र श्री उमर खान,
निवासी खड़िया बाजार शक्तिनगर,
जनपद सोनभद्र।

पी0एस0यू0पी0–18 हिन्दी गजट–भाग 8–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।